

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/08/2022

विनोद कुमार शर्मा एड0 ए.सी.जे.एम 3 का बरामदा जिला एवं सेशन परिसर भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी डीग।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 02.03.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है विनोद कुमार शर्मा एड0 ए.सी.जे.एम 3 का बरामदा जिला एवं सेशन परिसर भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2021 से उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/57 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध उपखण्ड अधिकारी डीग से पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/4045 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक आरटीआई/2022/4045 दिनांक 22.02.2022 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी डीग ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र क्रमांक आरटीआई/2021/2785 दिनांक 16.12.2021 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अपनी इससे जाहिर होता है कि रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को भी भेजी जावे।


(आलोक रंजन)

जिला कलक्टर,भरतपुर